कार्यालय मुख्य छात्रावास अधीक्षक
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

<u>कार्यालय आदेश</u>

विश्वविद्यालय के सत्र 2025–26 में समस्त कोर्स (UG/PG/Ph.D) में नवप्रवेशित छात्र–छात्राएं जिनको छात्रावास आवंटित किया जा चुका है परन्तु किसी कारण वश यदि कोई छात्र–छात्राएं अपना छात्रावास आवंटन निरस्त कराना चाहते है, उन्हे निरस्तीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर निम्न विवरणानुसार उनके द्वारा जमा छात्रावास शुल्क एवं मेस एडवांस शुल्क में से कटौती कर शेष धनराशि ही वापस किया जायेगा।

(i) छात्रावास शुल्क की कुल जमा धनराशि (रूपया 30,000/–) में से प्रति माह (रूपया 2500/–) की कटौती के उपरान्त शेष धनराशि वापस की जायेगी।

(ii) मेस एडवांस की कुल जमा धनराशि (रूपया 18,000/–) में से वास्तविक मेस चार्ज एवं मेस मेंटिनेंस पूल फण्ड की कटौती (5%) के उपरान्त ही शेष धनराशि वापस की जायेगी।

(प्रो0 वी0 के0 गिरि)
मुख्य छात्रावास अधीक्षक

पत्रांक/मा0प्रौ0वि0/मु0छा0अधी0/96/2025 दिनांकः 11- अगस्त, 2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. वै0सहा0 कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
02. वित्त नियंत्रक।
03. कुलसचिव।
04. अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन/परास्नान्तक अध्ययन/शोध एवं विकास एवं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज।
05. अध्यक्ष, प्रवेश प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. समस्त छात्रावास अधीक्षक।
07. वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11.08.25

(प्रो0 वी0 के0 गिरि)
मुख्य छात्रावास अधीक्षक